राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभान

प.8(10)वित्त/नियम/2009 जयपुर, दिनांक : 14.06.2017

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या DBCWP 20183/2013 योगेश शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 05.12.2016 की अनुपालना में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.01.2017 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे कि राजकीय सेवा में सेवारत पति–पत्नी जो एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित हैं तथा एक ही मकान में रहते हों तो, उनमें से एक का ही मकान किराया भत्ता, जो दोनों में जिसका अधिक हो, आहरित किया जावे। यह आदेश माह जनवरी 2017 के वेतन से प्रभावी किया गया था।

उपरोक्त संदर्भित जनहित याचिका संख्या DBCWP 20183/2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2017 की पालना में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.01.2017 को प्रत्याहारित (withdraw) किया जाता है।

आदेश दिनांक 30.01.2017 की पालना में जिन राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता का भुगतान माह जनवरी 2017 से रोका गया है, का एरियर मकान किराया भत्ता नियम, 1989 के प्रावधानानुसार देय होगा।

(अंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
6. समस्त विभागाध्यक्ष
7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान
8. समस्त कोषाधिकारी
9. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

(कीर्ति जैन)
संयुक्त शासन सचिव

(RSR - /5 /2017)